फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : लच्छीया

किस्म मुकदमा – 53 रा. का. अधिनियम

विपक्षी : लोगा

पत्रावली संख्या : 476/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 11.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण बहस में सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया कि प्रार्थी जहां काबिज है डिक्री में उन्हीं नम्बरों का हवाला दिया परन्तु प्रार्थी/वादी के नाम पर अन्य आराजीयात है उनका अंकन दावे में नही किया गया। अतः प्रार्थी स्वयं ने डिक्री की पालना हेतु मना किया है क्योंकि इन नंबरों से उसका हिस्सा पूर्ण नहीं बनता है। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी ने डिक्री पालना से मना किया है क्योंकि इन नंबरों से उसका हिस्सा पूर्ण नहीं बनता है। अतः वादी द्वारा डिक्री की पालना नहीं चाहने से वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 12:28:42 IST
Reason: SelfAttested